[श्री कंवरलाल गुप्त]

18.18 hrs.

] MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आखिर में मैं एक बात कहूंगा। बहुत सी चीजें गृहमंत्री महोदय के पास हैं। गृहमंत्री को पता भी है कि कहां से पैसा आता है। कई जगह छानबीन कर के यह निश्चित भी हो गया है कि यह पैसा बाहर से आता है। लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसी अच्छी मशीनरी नहीं बनाई जिस से इस काम के ऊपर निगाह रखी जा सके। छोटा सा एक सेल उसने बनाया लेकिन उस सेल से इतना बड़ा काम होने वाला नहीं है। मैं मांग करूंगा कि इसके लिए एक अच्छा सेल बनाया जाना चाहिए जो स्टेट्स के अन्दर भी और यहां भी। जहां-जहां भी यह कार्यवाही हो रही है उसको देख सके, क्योंकि यह जाल बिछाया जा रहा है बड़ी तेजी से और इसको रोकना बहुत जरूरी है। जो इसके कल्प्रिट्स हों उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसके अन्दर कोई पालिटिकल कंसिडरेशन नहीं आना चाहिए, चाहे वह किसी पार्टी का हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए क्यों कि देश की सेक्योरिटी, देश के डिफेंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमारे अन्दर आपस में मतभेद हो सकता है, प्रजातंत्र में हम अलग अलग राय रख सकते हैं लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है। देश की सेक्योरिटी पर अलग कोई बात आती है तो उसके लिए हम 100 और 5 मिल कर 105 हैं, और हम सब मिल कर उसका मुकाबिला करें।

इन शब्दों के साथ गृह मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उनकी भावनाओं की कदर करते हुए सदन से मैं यह चाहूंगा कि वह मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना विधेयक वापस लूं और मैं आशा करता हूं कि इसमें गृह मंत्री देर नहीं लगाएंगे और इसे कोल्ड स्टोरेज में वह नहीं डालेंगे।

The Bill was by leave withdrawn.

18.20 hrs.

FREE LEGAL AID BILL*

श्री मधु लिमये (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपराधिक अभियोगों में फंसे निर्धन और आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को नि: शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for free legal aid to poor and needy persons involved in criminal cases."

The Motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

18.21 hrs.

DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL*

Amendment of section 3,22, etc.

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966."

The Motion was adopted.

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

18.22 hrs.

CONSTITUTITON (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Articles 85 and 174)

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

---

* Published in Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 2, dated 13-3-70.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Conrtitution of India."

The motion was adopted.

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We come to Bills to be taken up for general discussion. Shri K. R. Ganesh, absent. Shri Narayana Reddy, absent. Shri Yamuna Prasad Mandal, absont. Shri Madhu Limaye.

18.23 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Omission of Article 314*)

by Shri Madhu Limaye

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान की धारा 314 को संविधान से हटाने वाले मेरे विधेयक पर यह सदन विचार करे।.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

You may continue next time. Now, the Home Minister.

18.24 hrs.

STATEMENT RE-PROROGATION OF BOTH HOUSES OF JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Government have received reports that the Governor of Jammu and Kashmir has prorogued both the Houses of the Jammu and Kashmir Legislature with effect from 8-00 A. M. tomorrow, the 14th March, 1970. It has been stated in a press note reported to have been issued by the Jammu and Kashmir Government that the order of prorogation has been necessitated on account of the agitation launched in Jammu by various groups and parties which has seriously affected the proceedings of the current session of the Legislature.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : On a point of order, Sir. You Cannot ask a Question on a statement made by a Minister. Nor can you ask a clarification.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : You are 10 years behind.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने काश्मीर सरकार के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, है उस का सारांश ही सदन को बताया है, जिसमें एक बहुत गम्भीर बात उन्होंने बताई है कि चूंकि जो आन्दोलन वहां चल रहा है, उस आन्दोलन की वजह से विधान सभा का कार्य नहीं चल पा सकता है, इस लिये विधान सभा का सत्रावसान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई भी सरकार यह वक्तव्य दे कि किसी आन्दोलन के कारण विधान सभा का काम नहीं चल सकता है, तो उसका साफ मतलब है कि कानून और संविधान उस राज्य में खतम हो चुका है। ऐसी स्थिति में संविधान की दफा 356 के तहत राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति का मतलब है केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वहां का शासन अपने हाथ में ले । इस में कहा गया है —

"If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise"....

अदरवाईज पर ध्यान दीजिये, यदि गवर्नर रिपोर्ट न दे और आपकी अपनी जानकारी हो तो भी

* Published in Gazette of India Extra-ordinary Part II, Section 2, dated 13-3-70.